

अनुमंडल न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

परिवाद पत्र सं.- 2656 / 2025 सी.आई.एस.क्र.- 2656 / 2025

पंजाब नेशनल बैंक, बनमनखी द्वारा रमण कुमार रवि बनाम शमीम अहमद

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
19.01.2026	परिवादी की हाजरी है। यह अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी द्वारा यह परिवाद धारा 138 परकाम्य अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। परिवादी अपने मामले के समर्थन में अपना शपथपूर्ण कथन, अनादृत चेक की मूल/छायाप्रति, चेक स्लिप, विधिक सूचना, पोस्टल रसीद एवं प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, बनमनखी के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आलोक में श्री रमण कुमार रवि के द्वारा इस आशय का परिवाद लाया गया है कि शमीम अहमद के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को लोन हेतु पंजाब नेशनल बैंक, बनमनखी के साथ एग्रीमेंट निष्पादित कर 9,00,000/- (नौ लाख रुपये) लोन लिया गया एवं सिक्क्योरिटी के रूप में चेक प्रदान किया गया परंतु शमीम अहमद ने लोन एवं ब्याज की धनराशि का भुगतान नहीं किया तब बैंक के द्वारा शमीम अहमद के द्वारा दिये गये चेक को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 04.06.2025 को खाता में पर्याप्त राशि न होने के कारण अनादृत हो गया तब बैंक के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक सूचना दिनांक 09.06.2025 को शमीम अहमद को दी गयी परंतु शमीम अहमद न तो कोई जबाव दिये न ही बकाया धनराशि का भुगतान किये। तब बैंक के द्वारा यह परिवाद दिनांक 22.07.2025 को लाया गया है। धारा 138 परकाम्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिये आवश्यक है कि चेक अनादृत होने के 30 दिन के भीतर चेक प्रदान करने वाले व्यक्ति को विधिक सूचना दी जाये तथा अगर वह सूचना प्राप्ति से 15 दिन के भीतर धनराशि का भुगतान नहीं करता है तब एक माह के भीतर परिवाद लाया जा सकता है। परिवादी के द्वारा यह परिवाद विहित समयावधि के भीतर लाया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवाद पत्र में वर्णित अभियुक्त शमीम अहमद के विरुद्ध धारा 138 परकाम्य अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह सम्मन सामग्री दाखिल करे। तत्पश्चात कार्यालय सम्मन निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 20.02.26 वास्ते सम्मन सामग्री हेतु नियत। हस्ताक्षर ह0/- अ0मु0न्या0दं0 बनमनखी, पूर्णियाँ	